दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06 अक्टूबर, 2023

नि.प्र.अ. (वाणि.) 148/2023

श्री अमित वालिया ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अनुज गर्ग, अधिवक्ता

बनाम

सुश्री श्वेता शर्मा ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता

वी. कामेश्वर राव, न्या. (मौखिक)

1. इस अपील में विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय), दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत न्यायालय परिसर, नई दिल्ली (संक्षेप में, "विद्वान जि.न्या.") द्वारा सि.वा. (वाणि.) 395/2022 शीर्षक श्री अमित वालिया बनाम सुश्री श्वेता शर्मा,

में 15 मई, 2023 को पारित आदेश/निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अधीन विद्वान जि.न्या. ने अपीलकर्ता द्वारा आदेश 8 नियम 10 सि.प्र.सं के अधीन दायर आवेदन पर विचार करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, "वाणि.न्या.अधि.") की धारा 12-क के अननुपालन के लिए आदेश 7 नियम 11 (घ) के अधीन वादपत्र खारिज कर दिया है।

2. अभिलेख से नोट किए गए तथ्य यह हैं- अपीलकर्ता ने दिसंबर, 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के बकाया किराए ₹1,57,50,000/- के लिए और 30 सितंबर, 2018 तक प्रति वर्ष 12% की दर से ₹8,63,704/- बकाया किराया राशि पर ब्याज की वसूली के लिए वाद दायर किया था।

3. वाद दायर करने से पहले अपीलकर्ता ने दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र (समाधान) (संक्षेप में, "डीएचसीएमसीसी (एस))" का दरवाजा खटखटाया। याचिका सं. 51/2020 के रूप में पंजीकृत की गई थी। मध्यस्थता सत्र 20 फरवरी, 2020, 24 फरवरी, 2020 और 04 मार्च, 2020 को निर्धारित किए गए थे। नोटिस के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए कार्यवाही आरंभ नहीं की गई। तदनुसार, 05 मार्च, 2020 की नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट दायर की गई थी।

4. अपीलकर्ता ने 02 अप्रैल, 2022 को ई-फाइलिंग के माध्यम से वाद दायर किया। 23 फरवरी, 2023 के आदेश के तहत उन पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई और लिखित बयान दर्ज करने का उनका अधिकार ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वह उपस्थित नहीं हुईं और उसने तामील की तिथि से तीस दिनों की अवधि के बाद लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का कोई अनुरोध नहीं किया था।

5. इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में डिक्री पारित करने के लिए आदेश 8 नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन दायर किया था। उस आवेदन पर सुनवाई के दौरान जि.न्या. द्वारा एक प्रश्न रखा गया था कि क्या डीएचसीएमसीसी(एस) द्वारा जारी 05 मार्च, 2020 की नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट वैध है, क्योंकि केंद्र वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क (2) के तहत दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए अधिकृत नहीं है।

6. इस मुद्दे पर अपीलकर्ता का यह कहना था कि डीएचसीएमसीसी(एस) दिल्ली उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है और केंद्र की रिपोर्ट को वैध रिपोर्ट माना जाता है। दूसरा तर्क यह था कि ***पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2022) 10 एससीसी 1*** में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो 20 अगस्त, 2022 से प्रभावी है 20 अगस्त, 2022 से पहले दायर वाद पर वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के अननुपालन के कारण लागू नहीं होगा। इसलिए, वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क (2) के अनुपालन का दोष दायर किए गए वाद की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। इस संबंध में, ***समर एंड समर इंस्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम मीकिंटोश बर्न लिमिटेड और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 462*** के निर्णय को आधार बनाया गया था।

7. इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि प्रतिवादी नोटिस के बावजूद दाखिल-पूर्व मध्यस्थतामें उपस्थित नहीं हुए। वह विद्वान जि.न्या. के सामने भी पेश नहीं हुए थे। यह कहा गया था कि प्रतिवादी के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का कोई इरादा नहीं है। वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क (2) के अनुपालन के मुद्दे पर विचारण प्रतिवादी के आचरण के

को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। इस संबंध में, ***बोल्ट टेक्नोलॉजी ओयू बनाम उजॉय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन दि. 2639*** मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

8. अपीलकर्ता का यह भी कहना था कि विद्वान जि.न्या. के विद्वान पूर्वाधिकारी के 23 मई, 2022 के आदेश पत्र में कहा गया था कि नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट दायर की गई है, जिसका अर्थ है कि विद्वान जि.न्या. के विद्वान पूर्वाधिकारी ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और अब इसकी वैधता पर उत्तराधिकारी न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है। विद्वान जि.न्या. ने वाद को खारिज करते हुए अनुच्छेद 9.1 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है: -

> "9.1 *वाणि.न्या.अधि. की धारा 12 गहन मुकदमेबाजी का विषय रही है और पाटिल ऑटोमेशन (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ कानून निर्धारित हो गया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि तत्काल अवमुक्ति पर विचारण के लिए धारा 12क वाणि.न्या.अधि. का अनुपालन अनिवार्य नहीं है और इसके लिए छूट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाणि.न्या.अधि. की धारा 12 क में विधिक स्थिति को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:*
>
> *(i) तत्काल अवमुक्ति पर विचारण न किये जाने की स्थिति में, वाणि.न्या.अधि. की धारा 12क का अनुपालन अनिवार्य है।*
> *(ii) वाणि.न्या.अधि. की धारा 12क के अनुपालन वाले वादों में, यदि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12क के अनुपालन के बिना वाद किया गया है तो वादपत्र को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। 20.08.2022 से पहले दायर किए गए वाद पाटिल ऑटोमेशन मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा तब तक सुरक्षित हैं, जब तक कि क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय ने पहले ही वाणि.न्या.अधि. की धारा 12क को अनिवार्य घोषित न किया हो।*
> *(iii) दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए वादी को वाणि.न्या.अधि. की धारा 12क (2) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण से संपर्क करना होगा। प्राधिकारी क्षेत्रीय, आर्थिक क्षेत्राधिकार और वाद की विषय-वस्तु के अनुसार आवेदन पर विचार करेगा।*

(iv) प्राधिकारी विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करेगा। यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के फॉर्म-3, अनुसूची-I में नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट जारी की जाएगी। यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित होकर मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं तो प्राधिकरण पक्षकारों को सूचीबद्ध विद्वान मध्यस्थ/संस्था के पास भेजेगा। मध्यस्थता की सफलता या विफलता के आधार पर, मध्यस्थ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म में उचित प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(v) यदि दाखिल-पूर्व मध्यस्थतासफल होती है, तो निपटान में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 के संदर्भ में माध्यस्थम् पंचाट का प्रभाव होगा, जैसा कि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12क के अधीन दिया गया है।"

9. 20 जुलाई, 2023 को जब अपील इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, तो हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"विचार के लिए जो संक्षिप्त मुद्दा उठा है, वह यह है कि क्या विद्वान जिला न्यायाधीश अपीलकर्ता के वाद को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वादी/अपीलकर्ता ने मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र (डीएचसीएमसीसी) के समक्ष शुरू की थी, न कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा, 2015 की 12 क के अधीन बनाए गए प्राधिकारी के समक्ष।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ था। अगर मध्यस्थता प्रक्रिया विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष शुरू भी हुई होती तो वह पेश नहीं होती। वह आगे यह भी कहते हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी एकपक्षीय रूप से ही उपस्थित थी। वह कहते हैं कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने इस मामले में बहुत तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है।

चूंकि प्रतिवादी एकपक्षीय रूप से ही उपस्थित थी, इसलिए कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता दो सप्ताह के भीतर ऐसे निर्णय, जिनको वह आधार बनाना चाहता है, यदि कोई हो, के साथ लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करेगा।

25 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध"

10. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:

क) अपीलकर्ता ने दाखिल-पूर्व मध्यस्थतायाचिका सं. 51/2020 दायर करके डीएचसीएमसीसी(एस) से संपर्क किया है और यह कि प्रतिवादी डीएचसीएमसीसी(एस) के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और डीएचसीएमसीसी(एस) द्वारा एक नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट द्वारा मध्यस्थता बंद कर दी गई।

ख) जब अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को समन देने की कोशिश की, तो निम्नलिखित रिपोर्ट दी गई थी और विद्वान जि.न्या. के 13 अक्टूबर, 2022 के आदेश में यह टिपण्णी की गई:

> ***"प्रतिवादी ने वह पता छोड़ दिया है और पते पर बार-बार जाने के बावजूद उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है।***

ग) इसके बाद, अपीलकर्ता ने समाचार-पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी को तामील किया, फिर भी प्रतिवादी वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ और कार्यवाही को विद्वान जि.न्या. द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2023 के आदेश के तहत एकपक्षीय घोषित कर दिया गया।

घ) उनके अनुसार विद्वान जि.न्या. ने यह कहते हुए अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया कि डीएचसीएमसीसी के माध्यम से आयोजित मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता कार्यवाही वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क का वैध अनुपालन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के बजाए, विद्वान जि.न्या. को मामले पर निर्णय गुणागुण के आधार पर लेना चाहिए था

क्योंकि पूर्ववर्ती न्यायालय ने वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के विधिवत अनुपालन के बाद समन जारी किया था और नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट को देखने के बाद प्रतिवादी को समन जारी किया था।

ङ) उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का ठिकाना ज्ञात नहीं था और यहां तक कि वाद में भी प्रतिवादी एकपक्षीय रूप से उपस्थित था इसलिए, किसी भी सार्थक उद्देश्य में सफलता मिलने की संभावना न थी/ न है, भले ही चाहे अपीलकर्ता ने मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता के सन्दर्भ में डीएलएसए से संपर्क किया हो। उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान जि.न्या. द्वारा अति-तकनीकी दृष्टिकोण उद्देश्य को पराजित करता है और कानून का यह मत निर्धारित है कि जब भी नैसर्गिक न्याय और तकनीकी-पेचीदगी के बीच टकराव होता है तो प्राथमिकता नैसर्गिक न्याय को दी जानी चाहिए।

च) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से एक और प्रस्तुति यह है कि, वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के अधीन, डीएचसीएमसीसी(एस) दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके प्रयोजनों के लिए एक उपयुक्त केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि डीएचसीएमसीसी(एस) मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह नियम, 2004 का पालन करती है, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में बनाया गया था।

छ) उन्होंने यह भी कहा कि 2021 के मध्यस्थता विधेयक में प्रस्तावित संशोधन डीएचसीएमसीसी(एस) जैसे न्यायालय से जुड़े मध्यस्थता केंद्रों को वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के अधीन दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए केंद्रों/संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है। इस तर्क के समर्थन में

उन्होंने प्रस्तावित मध्यस्थता विधेयक की धारा 3(1) संलग्न की है, जिसमें वह इस बात पर जोर देते हैं कि "***या न्यायालय या अधिकरण या ऐसे अन्य मंच से जुड़े मध्यस्थता केंद्र को समिति द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यस्थता सेवा प्रदाता माना जाएगा***"। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 40 में न्यायालय से जुड़े मध्यस्थता केंद्र को मध्यस्थता सेवा प्रदाता की परिभाषा में लाया गया है।

ज) अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने ***ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड बनाम उधन कुमार चोरडिया और अन्य,*** सि.वा. (वाणि.) ***182/2022 में 25 मार्च, 2022 को दिए गए निर्णय और श्री अनिल पिट्टी बनाम एपीजे ओवरसीज लिमिटेड और अन्य***, ***सि.वा. (वाणि.) 489/2022*** *के* ***दिनांक 21 जुलाई, 2022*** के ***आदेश*** में इस न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया है और कहा है कि इस न्यायालय ने डीएचसीएमसीसी(एस) के समक्ष पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा है।

झ) अधिवक्ता की एक और प्रस्तुति यह है कि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क स्वरुप से विधिवत है जो केवल उस तरीके और प्रक्रिया से संबंधित है जिससे दाखिल-पूर्व मध्यस्थताका सहारा लिया जा सकता है और इसलिए इसे उदारतापूर्वक समझना चाहिए, सख्ती से नहीं।

ञ) उन्होंने आगे यह भी कहा कि विद्वान जि.न्या. ने ***पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत तरीके से पढ़ा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि, वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के अधीन अनिवार्य प्रावधान का पालन किए

बिना वाद दायर किए जाने पर वादपत्र को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि उक्त निर्णय वाद दायर करने के बाद आया है।

ट) उन्होंने कहा कि अनिवार्य दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के अधीन दी गई प्रणाली और विधि एकमात्र तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि, यदि न्यायालय एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाता है तो पक्षकारों को दाखिल-पूर्व मध्यस्थतानियमों के अधीन प्राधिकारी से संपर्क करके मध्यस्थता के कई दौर से गुजरना होगा। अपने प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के ***बोल्ट प्रौद्योगिकी ओयु (पूर्वोक्त)*** के निर्णय को आधार बनाया है।

ठ) उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता विधेयक 2021 में वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क में एक संशोधन प्रस्तावित है, जो विशेष रूप से डीएचसीएमसीसी जैसे न्यायालय से जुड़े मध्यस्थता केंद्रों को वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के अधीन दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए केंद्रों/संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है। वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क में प्रस्तावित संशोधन का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

> *"12अ. मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता और निपटान*
>
> *(1) एक वाद, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी तत्काल अंतरिम अवमुक्ति पर विचार नहीं करता है, तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की गई प्रणाली और प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता की व्यवस्था का उपयोग नहीं करता है।*
>
> *(2) मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकृत कर सकती है कि-*

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, *1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकरण; या*

(ii) मध्यस्थता अधिनियम, 2021 की धारा 3 के खंड (ठ) के अधीन परिभाषित मध्यस्थता सेवा प्रदाता।"

ड) उन्होंने कहा कि दाखिल-पूर्व मध्यस्थताके लिए डीएचसीएमसीसी से संपर्क करके अपीलकर्ता ने वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के पूर्ण, प्रभावी और वैध अनुपालन में विवाद के निपटान की मांग की गई है। उनके अनुसार, कई अन्य परिदृश्य हो सकते हैं, जिन्हें वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के पूर्ण, प्रभावी और वैध अनुपालन के रूप में माना जा सकता है, जिसे आक्षेपित निर्णय पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है:

i. यदि वाद दायर करने से पहले, पक्षकार स्वयं व्यापक निपटान वार्ता में संलग्न होते हैं, लेकिन समझौता वार्ता विफल हो जाती है और दाखिल-पूर्व मध्यस्थतावार्ता साबित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री रख दी जाती है;
ii. यदि वाद दायर करने से पहले, पक्षकार दोनों पक्षकारों से परिचित व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समझौता वार्ता में लग जाते हैं, लेकिन समझौता वार्ता विफल हो जाती है;
iii. यदि वाद दायर करने से पहले, पक्षकार किसी स्वतंत्र/तृतीय-पक्ष मध्यस्थ की सहायता से निपटान वार्ता में लग जाते हैं, लेकिन निपटान वार्ता विफल हो जाती है;
iv. यदि वाद दायर करने से पहले, पक्षकार विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए समझौता वार्ता में शामिल होने के लिए दूसरे पक्षकार

को प्रस्ताव देता है, लेकिन दूसरा पक्षकार स्पष्ट रूप से मना कर देता है।

इसलिए वह चाहता है कि उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएं और वाद को गुणागुण के आधार पर निर्णय के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनः रखा जाए।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, जो संक्षिप्त मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या विद्वान जि.न्या. ने केवल इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क का अनुपालन नहीं किया है। वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क निम्नानुसार है: -

> *"**12क. दाखिल-पूर्व मध्यस्थता और निपटान—**(1) कोई वाद, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अन्तरिम अवमुक्ति पर विचारधीन न हो तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया के अनुसार दाखिल-पूर्व मध्यस्थता की व्यवस्था का उपयोग नहीं करता है।*
>
> *(2) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित प्राधिकारियों को दाखिल-पूर्व मध्यस्थता प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकती है।*
>
> *(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन वादी द्वारा किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया को पूरा करेगा:*
>
> *बशर्ते कि मध्यस्थता की अवधि पक्षकारों की सहमति से दो महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है:*
>
> *बशर्ते कि, जिस अवधि के दौरान पक्षकार दाखिल-पूर्व मध्यस्थता में व्यस्त रहे, ऐसी अवधि की गणना परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधीन परिसीमा के उद्देश्य से नहीं की जाएगी।*
>
> *(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो उसे अभिलिखित किया जायेगा और विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।*

(5) इस धारा के अधीन किए गए समझौते की स्थिति और प्रभाव वही होगा जैसे कि यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 30 की उप-धारा (4) के अधीन सहमत शर्तों पर माध्यस्थम् पंचाट है।]"

12. ***पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में, निर्णय के संदर्भ में यह स्थापित कानून है कि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क का अनुपालन अनिवार्य है जब तक कि तत्काल अवमुक्ति पर विचार न किया जाए। भारत सरकार द्वारा 03 जुलाई, 2018 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (दाखिल-पूर्व मध्यस्थता और निपटान) नियम, 2018 के संबंध में नियम बनाए हैं, जो कि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क की उप-धारा (1) के साथ सहपठित उप-धारा 21-क के तहत अनुध्यात किया गया है।

13. धारा 12-क की उपधारा 2 में आदेश है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों को संस्था-पूर्व मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

14. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (संक्षेप में, 'डीएलएसए') के समक्ष 03 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के संदर्भ में अपना दावा नहीं किया है लेकिन डीएचसीएमसीसी(एस) से संपर्क किया था, जिसने तीन मौकों पर कार्यवाही की और प्रतिवादी/प्रत्यर्थी तलब करने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप डीएचसीएमसीसी द्वारा नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को विद्वान जि.न्या. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह रिपोर्ट डीएलएसए की नहीं है।

15. जो मुद्दा विचारणीय है वह यह है कि क्या विद्वान जि.न्या. केवल इस आधार पर वादपत्र को खारिज करने में सही थे कि अपीलकर्ता ने आदेश VII नियम 11 (घ) के

प्रावधानों को लागू करके डीएचसीएमसीसी(एस) से संपर्क किया है, न कि डीएलएसए से। यह सच है कि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क के प्रावधान दाखिल-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य के रूप में निर्दिष्ट करते हैं, इस अर्थ में कि किसी भी मुकदमे से पहले पक्षकारों की ओर से अपने आपसी विवाद को निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्वावधान में डीएचसीएमसीसी(एस) के समक्ष मध्यस्थता की प्रक्रिया को लागू किया था और प्रतिवादी/प्रत्यर्थी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से नॉन-स्टार्टर रिपोर्ट बनवाई जाएगी जिसका मतलब यह है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया गया है, जो विफल रहा।

16. उपयुक्त रूप से, यह प्रक्रिया डीएलएसए के तत्वावधान में केवल इसलिए होनी चाहिए कि अपीलकर्ता ने डीएचसीएमसीसी(एस) से संपर्क किया था, जिसके अधिकार क्षेत्र को इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया है, एक लंबित वाद में समझौता तलाशने के लिए पक्षकारों को भेजना वाद की धारणीयता के लिए घातक नहीं हो सकता है। वास्तव में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** मामले में इस न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया था जिसमें एक लंबित वाद में न्यायालय ने वादी द्वारा दायर आवेदन के अनुसरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्वावधान में मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए पक्षकारों को संदर्भित किया था, जिसमें मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता शुरू करने से छूट की मांग की गई थी।

17. तो इस प्रकार, वाणि.न्या.अधि. की धारा 12 क में अंतर्निहित भावना यह है कि प्रावधान अनिवार्य है जिसका अनुपालन किया गया है, अपीलकर्ता ने वाणि.न्या.अधि. की धारा 12 क के तहत परिकल्पित दाखिल-पूर्व मध्यस्थता के लिए संपर्क किया था,

लेकिन डीएलएसए से संपर्क करने के बजाय, अपीलकर्ता ने डीएचसीएमसीसी(एस) से संपर्क किया था। प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इस मामले में कोई तात्कालिकता न होने के कारण उन्होंने डीएचसीएमसीसी(एस) के समक्ष दाखिल-पूर्व मध्यस्थताप्रक्रिया के माध्यम से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के साथ विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की मांग की थी।

18. श्री गर्ग की एक दलील यह है कि, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अनुसार, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसकी धारा 40 निम्नानुसार है, न्यायालय संलग्न मध्यस्थता केंद्र को मध्यस्थता के लिए एक केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है: -

> *"40. (1) "मध्यस्थता सेवा प्रदाता" में निम्न शामिल हैं*:
> *(क) एक निकाय या एक संगठन जो इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत मध्यस्थता के संचालन का प्रावधान करता है और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है; या*
> *(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित एक प्राधिकरण; या*
> *(ग) एक न्यायालय-संलग्न मध्यस्थता केंद्र; या*
> *(घ) कोई अन्य निकाय जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है:*
> *बशर्ते कि खंड (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट निकायों को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यस्थता सेवा प्रदाता माना जाएगा।*
> *(2) मध्यस्थता सेवा प्रदाता को परिषद द्वारा निर्दिष्ट तरीके से मान्यता दी जाएगी।*

19. अतः, डीएचसीएमसीसी(एस) *न्यायालय-संलग्न मध्यस्थता केंद्र* है हालांकि मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत और वाणि.न्या.अधि. अधिनियम के तहत नहीं, हमारा विचार है कि वाणि.न्या.अधि. की धारा 12-क में अंतर्निहित भावना का

अनुपालन किया गया है। इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी तलब किए जाने के बावजूद, न तो डीएचसीएमसीसी(एस) के समक्ष पेश हुआ था और न ही विद्वान जिला न्यायाधीश के सामने, डीएलएसए के तत्वावधान में प्रभावी मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी उपस्थित न होकर इसे निरर्थक कर देंगे।

20. हमें यहां यह बताना चाहिए कि ***पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में उच्चतम न्यायालय ने दाखिल-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य माना है, लेकिन यह नहीं कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में इसकी आवश्यकता है, हालांकि हमें यह बताना होगा कि धारा 12-क ऐसा निर्धारित करती है।

21. ऊपर अनुच्छेद (ड) में उल्लिखित उन स्थितियों को उजागर करते हुए जहां पक्षकार मुकदमेबाजी शुरू करने से पहले समझौता वार्ता में खुद को शामिल होता है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है की यह प्रक्रिया अपील को प्रतिस्थापित कर सकती है।

22. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस मामले के तथ्यों में, अपील की अनुमति दी जाती है और उसका निपटान किया जाता है। आदेश VII नियम 11(घ) के तहत वादपत्र को अपास्त किए जाने वाले 15 मई, 2023 के आक्षेपित आदेश/निर्णय को रद्द किया जाता है। हम विद्वान जि.न्या. न्यायालय के समक्ष वाद/आवेदन को पुनर्जीवित करते हैं ताकि विद्वान जि.न्या. अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सुन सके और वाद का फैसला कर सके, जिसमें आदेश VIII नियम 10 के तहत आवेदन दायर किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, मामले को 20 नवंबर, 2023 को विद्वान जि.न्या. के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

वी. कामेश्वर राव, न्या.

अनूप कुमार मेंदीरत्ता, न्या.

अक्टूबर 06, 2023/*डीएस*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकदमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*